दिनांक: 18 अक्टूबर 2023

विशेष अनुमति याचिका

इस लेख में "दैनिक वर्तमान मामले" और विषय विवरण "विशेष अनुमति याचिका" शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल परीक्षा के राजनीति और शासन अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए

- विशेष अनुमति याचिका

मुख्य परीक्षा के लिए

- *सामान्य अध्ययन-02: राजनीति और शासन*

सुर्खियों में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख आमिर चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका के लिए जल्द सुनवाई की अनुमति दे दी है।
- ये याचिकाएं दिल्ली पुलिस द्वारा कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनकी गिरफ्तारी से संबंधित थीं।

पृष्ठभूमि:

- **संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार,** सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किये गए या दिये गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष आज्ञा दे सकता है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) के बारे में चिंता जताई, जो अक्सर आरोपी, आरोपों और मुकदमे की स्थिति के बारे में जानकारी जैसे महत्वपूर्ण विवरण छोड़ देते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने इन अपीलों में महत्वपूर्ण विवरणों की अनुपस्थिति को पहचानने के बाद एसएलपी में सभी आवश्यक जानकारी शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए नए नियम स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- यह कार्रवाई करने से, कानूनी प्रणाली अधिक तेज़ी से और बिना किसी अनुचित देरी के संचालित होगी।

सुप्रीम कोर्ट की विशेष अनुमति याचिका:

- **विशेष अनुमति याचिका:** संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से, भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी मुकदमे या मामले में दिए गए किसी भी फैसले, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। यह विवेकाधीन प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करने की अनुमति देता है कि किसी भी मामले में अनुरोधित विशेष अनुमति को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए या नहीं।
- **सशस्त्र बलों का बहिष्करण मामले:** अनुच्छेद 136(1) में कहा गया है, यह एसएलपी सशस्त्र बलों से संबंधित लागू कानूनों के तहत स्थापित या संचालित अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, फैसले, वाक्य या आदेश पर लागू नहीं होता है।
- **अंतर-राज्यीय जल विवाद (आईएसडब्ल्यूडी) न्यायाधिकरण:** विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) जब SLP पर चर्चा की जाती है तो अंतर-राज्य जल विवाद (Inter-State Water Disputes- ISWD) ट्रिब्यूनल के निर्णयों के संबंध में इसकी स्थिति को समझना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

- अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 और संविधान के अनुच्छेद 262(2) द्वारा अंतर-राज्य जल विवाद (आईएसडब्ल्यूडी) न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ किसी भी अपील पर सुनवाई या निर्णय लेने से सर्वोच्च न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया है।
- लेकिन अनुच्छेद 136 में "भारत के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण" का उल्लेख इसके दायरे में अंतर-राज्य जल विवाद (आईएसडब्ल्यूडी) न्यायाधिकरण को शामिल करता प्रतीत होता है।
- हालांकि, अनुच्छेद 136 का "भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण" का उल्लेख आईएसडब्ल्यूडी
- सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त रूप से तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 136 (विशेष अनुमति याचिका) में सूचीबद्ध कार्य संवैधानिक अधिकार हैं। इस वजह से, संविधान के अनुच्छेद 32, 131 और 136 सुप्रीम कोर्ट को अंतर-राज्य जल विवाद (आईएसडब्ल्यूडी) ट्रिब्यूनल को अपने अधीन लेने की अनुमति देते हैं।
- **मूल क्षेत्राधिकार:** अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के बीच विवादों या अंतर-राज्य विवादों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, ऐसे मुद्दों को व्यापक तरीके से संबोधित करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01 भारत में विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एसएलपी मुख्य रूप से भारत के उच्च न्यायालयों में दायर किए जाते हैं।
2. एसएलपी केवल सरकारी अधिकारियों और लोक सेवकों द्वारा दायर की जा सकती है।
3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास यह तय करने की विवेकाधीन शक्ति है कि एसएलपी के लिए अनुमति दी जाए या नहीं।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(C) उपर्युक्त सभी।
(घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

उत्तर: A

प्रश्न-02 भारत में विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एसएलपी सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं।
2. एसएलपी केवल संवैधानिक मामलों पर दायर की जा सकती है, न कि किसी अन्य कानूनी मुद्दों पर।
3. एसएलपी के लिए अनुमति देना याचिकाकर्ता के अधिकार का मामला है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(ग) तीनों
(घ) कोई नहीं

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न-03 विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) पर निर्णय लेने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों और भारतीय कानूनी प्रणाली पर ऐसे विवेकाधिकार के प्रभाव की जांच करें।

Rajiv Pandey

वैश्विक भूख सूचकांक- 2023

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण " वैश्विक भूख सूचकांक- 2023" शामिल है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा के सामाजिक मुद्दों के अनुभाग में प्रासंगिक है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:

- *सूचकांक अवलोकन?*

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

- *संकेतक घटक?*

मुख्य परीक्षा के लिए:

- *सामान्य अध्ययन- 2: सामाजिक मुद्दे*
- *भारत के लिए मुख्य निष्कर्ष?*
- *वैश्विक परिदृश्य?*

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में,वैश्विक भुखमरी सूचकांक/ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2023 जारी किया हैं जिसमे भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, यह भारत में भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है।

निम्नलिखित सूचकांक का एक अवलोकन:

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए एक व्यापक उपकरण है। यह 100-बिंदु पैमाने पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) स्कोर की गणना करने के लिए चार प्रमुख संकेतकों पर निर्भर करता है, जहां कम स्कोर कम भूख का संकेत देते हैं।

संकेतक घटक:

- **अल्पपोषण:** जनसंख्या का वह हिस्सा जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है।
- **चाइल्ड स्टंटिंग:** पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित आंकड़ों की हिस्सेदारी उनकी उम्र के अनुसार कम है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है।
- **चाइल्ड वेस्टिंग:** पाँच वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों की हिस्सेदारी, जिनका वज़न उनकी लंबाई के अनुसार कम है, गंभीर कुपोषण को दर्शाता है।
- **शिशु मृत्यु दर:** अपने पाँचवें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की हिस्सेदारी, अपर्याप्त पोषण और अस्वास्थ्यकर वातावरण की गंभीर स्थिति दर्शाती है।

भारत के लिए मुख्य निष्कर्ष:

- भारत में 2018-22 के दौरान 7% पर दुनिया में सबसे अधिक बाल वेस्टिंग दर थी, जो तीव्र कुपोषण को दर्शाता है।
- भारत में अल्पपोषण की दर 6% थी, और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% थी।
- 15-24 आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 1% बताई गई थी।
- भारत का समग्र जीएचआई स्कोर 7 था, जिसे भूख के गंभीर स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- पड़ोसी देशों की तुलना में, पाकिस्तान (102), बांग्लादेश (81), नेपाल (69), और श्रीलंका (60) ने सूचकांक पर बेहतर प्रदर्शन किया।

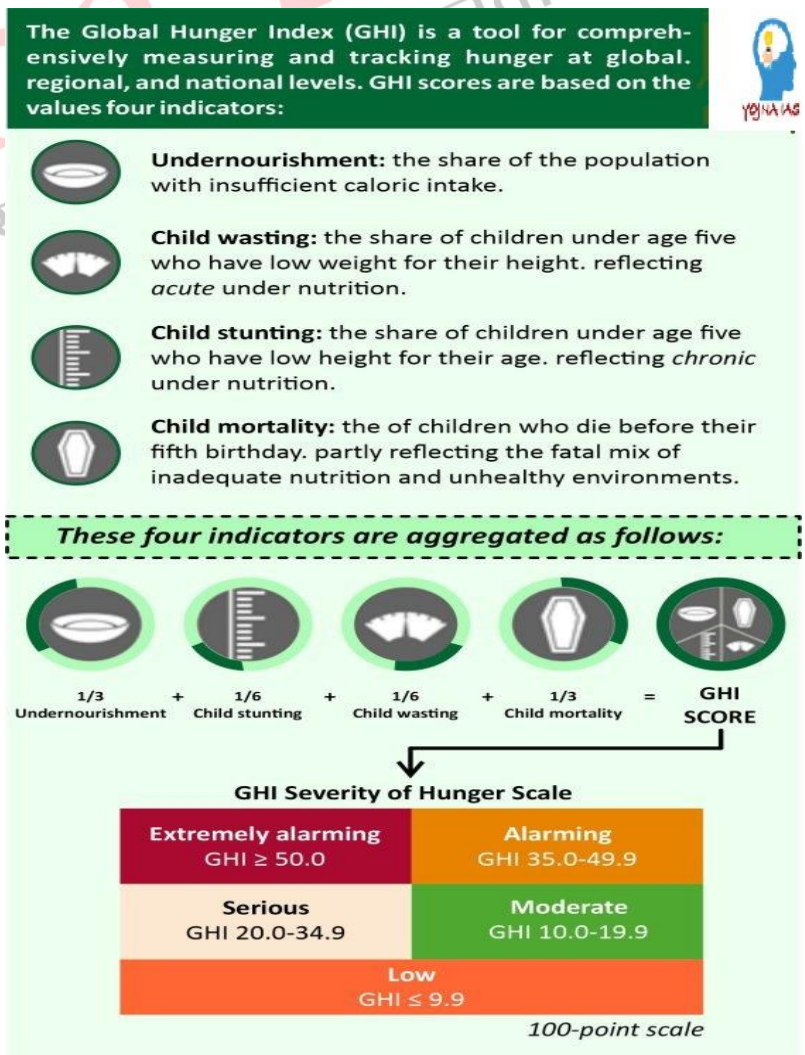

वैश्विक परिदृश्य:

- दुनिया के लिए 2023 जीएचआई स्कोर 3 है, जिसे मध्यम माना जाता है और दुनिया के 2015 जीएचआई स्कोर 19.1 से थोड़ा कम है।
- 2017 के बाद से, जीएचआई संकेतकों में से एक, अल्पपोषण की व्यापकता बढ़ रही है, कुपोषित लोगों की संख्या 572 मिलियन से बढ़कर लगभग 735 मिलियन हो गई है।

वैश्विक भूख सूचकांक- 2023 से पता चलता है कि कई कारकों ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ाने और कई देशों में

भूख को बढ़ाने में के कारकों में योगदान दिया है:-

- **जलवायु परिवर्तन:** सूखा, बाढ़ और अनियमित मौसम पैटर्न जैसे पर्यावरणीय परिवर्तनों ने कृषि और खाद्य उत्पादन को बाधित किया है, जिससे खाद्य असुरक्षा पैदा हुई है।
- **संघर्ष:** विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों और युद्धों के परिणामस्वरूप आबादी का विस्थापन हुआ है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, और भोजन और मानवीय सहायता तक पहुंच में बाधा आई है।
- **आर्थिक झटके:** मुद्रा अवमूल्यन और मुद्रास्फीति सहित आर्थिक संकट और झटकों ने कमजोर आबादी के लिए भोजन सहित बुनियादी आवश्यकताओं को वहन करना मुश्किल बना दिया है।
- **वैश्विक महामारी:** कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को तनावपूर्ण कर दिया है, नौकरियों का नुकसान हुआ है, और खाद्य वितरण नेटवर्क बाधित हुआ है, जिससे भोजन और पोषण तक पहुंच प्रभावित हुई है।
- **रूस-यूक्रेन युद्ध:** संघर्ष ने वैश्विक अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित किया है और संभावित रूप से उच्च खाद्य कीमतों और आपूर्ति व्यवधानों का कारण बना है।

इन तत्वों के संयोजन से भूख को संबोधित करना मुश्किल हो गया है , खासकर कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में।

स्रोत:

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111 वें स्थान पर; – द इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01 बाल पोषण के संदर्भ में, "चाइल्ड वेस्टिंग" शब्द का क्या अर्थ है?

(a) एक ऐसी स्थिति जिसमें एक बच्चा अपने आयु वर्ग के लिए औसत ऊंचाई से छोटा है।
(b) पाँच वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों की हिस्सेदारी, जिनका वज़न उनकी लंबाई के अनुसार कम है, गंभीर कुपोषण को दर्शाता है।
(c) एक ऐसी स्थिति जो बच्चे के चिरकालिक कुपोषण और अपर्याप्त कैलोरी सेवन की विशेषता है।
(d) एक ऐसी स्थिति जिससे बच्चों में संक्रामक रोगों का खतरा अधिक होता है।

उत्तर: B

प्रश्न-02 ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जीएचआई की गणना चार प्राथमिक संकेतकों के आधार पर की जाती है, जिसमें बाल स्टंटिंग, अल्पपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर शामिल हैं।
2. 100 का जीएचआई स्कोर भूख के उच्चतम स्तर को इंगित करता है, जबकि 0 का स्कोर भूख न्यून दर्शाता है।
3. 2023 जीएचआई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2018-22 के दौरान दुनिया में सबसे अधिक बाल वेस्टिंग दर थी।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

(a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) उपरोक्त में सभी।
(d) कोई नहीं

उत्तर: C

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03 खाद्य सुरक्षा का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) का विश्लेषण करते हुए , उन विशिष्ट चुनौतियों पर चर्चा करें जो भारत बाल कुपोषण और खाद्य असुरक्षा को संबोधित करने में सामना करता है।

Rajiv Pandey